



2026:AHC:127968

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-18364 सन् 2026

खुशबू

.....आवेदक

बनाम

यूपी राज्य

.....विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता : सुवंशित कुमार जायसवाल

विपक्षी के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 48

माननीय न्यायमूर्ति लक्ष्मी कांत शुक्ला

1.आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुवंशित कुमार जायसवाल, और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया गया।

2. जमानत आवेदन मामले में आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 01/2026, बी.एन.एस. की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) के तहत, पुलिस थाना मुरादनगर, जिला गाजियाबाद में विचारण की लंबितता के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. अभिकथित है कि आवेदक ने कूटरचित और झूठे दस्तावेज के आधार पर कूटरचित चिकित्सा दावा प्रस्तुत किया था। दावे के सत्यापन के दौरान, सूचना देने वाली बीमा कंपनी ने जांच की और उस डॉक्टर से संपर्क किया, जिसका नाम आवेदक के इलाज के रूप में दिखाया गया था। उक्त डॉक्टर ने बताया कि उनके अस्पताल में आवेदक द्वारा दावा की गई बीमारी के इलाज की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी और ऐसा कोई इलाज प्रदान नहीं किया गया था। इन परिस्थितियों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



में, दावे को संदिग्ध और वास्तविक चिकित्सा अभिलेखों द्वारा समर्थित न पाते हुए, बीमा कंपनी ने चिकित्सा दावा का भुगतान रोक दिया और बाद में भुगतान बंद कर दिया।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उसे एक भी पैसा नहीं मिला है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक विधि का पालन करने वाला नागरिक है और 13.04.2026 से कारागार में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर सरकारी अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया परन्तु इससे इस तथ्य का खंडन करने में असफल रहा कि आवेदक को कोई भुगतान नहीं किया गया है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान विद्वान अधिवक्ता के निवेदन पर, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की सह-अपराधिता, कारागारों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन इलाहाबाद 6765** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक **खुशबू** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और समान राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ हस्तक्षेप किया जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए विचारण / जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा या कोई अपराध नहीं करेगा।
 - iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी भंग होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।
9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
10. आवेदक और जमानतदारों की मोबाइल संख्या और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।
11. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

(लक्ष्मी कांत शुक्ला, न्यायमूर्ति)

18 जून, 2026

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।